प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 39/2024)

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दी जाने वाली सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 11 जुलाई 2024 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दी जाने वाली सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' पर परामर्श पत्र जारी किया।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 21.06.2024 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है; अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक किसी भी इकाई/ व्यक्ति को प्राधिकार प्राप्त करने का प्रावधान है, जो कि फीस या शुल्क सहित ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है, जिनको निर्धारित किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने इस संबंध में पत्र के साथ संबंधित पहलुओं पर एक पृष्ठभूमि नोट भी साझा किया, जिसमें नए अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं शामिल हैं, जिनका प्राधिकारों के नियमों और शर्तों पर प्रभाव पड़ सकता है।

2. डीओटी ने दिनांक 21.06.2024 के उक्त पत्र के माध्यम से, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(क) के तहत, भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस या शुल्क सहित नियमों और शर्तों पर अपनी अनुशंसायें प्रदान करने का अनुरोध किया है।

3. इस संबंध में, हितधारकों से टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दी जाने वाली सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 1 अगस्त 2024 तक लिखित टिप्पणियां तथा 8 अगस्त 2024 तक प्रतिटिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

4. टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रानिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी) 11/7/24

सचिव, भादूविप्रा